

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/71/2024

रजिस्टर्ड नंबर
2024/105

प्रवेश तिथि
30.10.2024

निर्णय दिनांक
08.01.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह निवासी दिवाकरी, अलवर राज0 ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर

—विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक बांसूरीनूमा यंत्र को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहगराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह, निवासी दिवाकरी, अलवर की विक्रम वर्कशॉप, दिवाकरी अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह उपस्थित मिले। श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह की दुकान पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग वाहनों में अवैध रिफिलिंग के कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री विक्रम सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का वाहनों में अवैध रिफिलिंग के कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र को मै० रिद्धि सिद्धि गैस एचपी गैस ग्रामीण वितरक, अलवर के प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद पुत्र श्री सोहन पाल को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि मौके पर वक्त जांच अप्रार्थी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह की दुकान पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग वाहनों में गैस रिफिलिंग के कार्य के लिए किया जा रहा था।

वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री विक्रम सिंह के द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 बांसूरीनूमा यंत्र सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)